

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री विनोद कुमार लोहिया, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुल्ताना अहीरान जिला झुन्झुनूं का स्थानान्तरण राउमावि कोटड़ी, समदड़ी बाड़मेर किया गया था जिसके विरुद्ध श्री विनोद कुमार लोहिया द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 1805/2021 विनोद कुमार लोहिया बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 1805/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.04.2021 द्वारा अपीलार्थी विनोद कुमार लोहिया को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में 15 दिवस के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने एवं ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अपना पदस्थापन/समायोजन राउमावि फिरवासी, लाडनूं जिला नागौर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का अवलोकन किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का राज्य सरकार एवं विभागीय दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। अपीलार्थी श्री विनोद कुमार लोहिया, प्रधानाचार्य राउमावि कोटड़ी, समदड़ी जिला बाड़मेर की प्रतिकूल परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उनके अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उनका पदस्थापन/समायोजन राउमावि फिरवासी, लाडनूं जिला नागौर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/अशोक कुमार/1805/2021/256 दिनांक: 20/07/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर/अजमेर संभाग, जोधपुर/अजमेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बाड़मेर/नागौर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक बाड़मेर/नागौर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री विनोद कुमार लोहिया, प्रधानाचार्य राउमावि कोटड़ी, समदड़ी जिला बाड़मेर को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)